सिमुलतला शिक्षा सोसाइटी

अधिसूचना

सिमुलतला शिक्षा सोसाइटी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी सेवाशर्त्त तथा अनुशासन (संशोधन) नियमावली, 2026

संख्या–10/व 1–92/2010(खण्ड) 1088 पटना, दिनांक–13-5-26

सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट–21, 1860 के तहत शिक्षा विभाग के अधीन "सिमुलतला शिक्षा सोसाइटी" के नाम से एक स्वायत्तशासी संस्था की स्थापना की गयी है, जिसके अधीन कार्यकारिणी समिति को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "सिमुलतला शिक्षा सोसाइटी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी सेवाशर्त्त तथा अनुशासन नियमावली, 2021 (यथासंशोधित)" में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभः–**

(1.) यह नियमावली "सिमुलतला शिक्षा सोसाइटी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी सेवाशर्त्त तथा अनुशासन (संशोधन) नियमावली, 2026 कही जा सकेगी।

(2.) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत होगा।

2. **सिमुलतला शिक्षा सोसाईटी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी सेवाशर्त्त तथा अनुशासन नियमावली, 2021 के नियम–5 का प्रतिस्थापन** :–उक्त नियमावली के नियम–5 को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जायेगा–

5. प्राचार्य/उप प्राचार्य की नियुक्ति हेतु अर्हता।

क. प्राचार्य की नियुक्ति हेतु अर्हत्ताः–

(i) भारत का नागरिक हो।

(ii) (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान, वाणिज्य, अभियंत्रण, प्रबंधन में 55 प्रतिशत के साथ स्नातकोत्तर डिग्री। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बी०एड०/बी०ए०एड०/बी०एससी०एड० अथवा भारत सरकार/बिहार सरकार द्वारा घोषित समकक्ष शिक्षक प्रशिक्षण की योग्यता।

(ग) भारत सरकार/बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय में 15 वर्षो का अनुभव, जिसमें 10 वर्ष स्नातक या स्नातकोत्तर शिक्षक एवं 05 वर्ष का शैक्षिक प्रशासक के रूप में अनुभव।

(घ) आयु सीमा– आयु अधिमानतः 55 वर्ष से कम होना चाहिए।

अथवा

(ii) (क) रैंक –थल सेना/नौसेना/वायु सेना की शिक्षा शाखा से लेफ्टिनेंट कर्नल (गैर–टाइम स्केल) या समकक्ष पद के सैन्य पदाधिकारी।

(ख) योग्यता–

(i)विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम–से–कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर ; तथा

(ii)राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बी०एड०/बी०ए०एड०/बी०एससी०एड०

अथवा

भारत सरकार/बिहार सरकार द्वारा घोषित समकक्ष शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता।

(ग) आयु सीमा – आयु अधिमानतः 55 वर्ष से कम होना चाहिए।

(iii) अन्य – खेलों तथा सह–पाठ्यक्रम गतिविधियों के दक्षता को अतिरिक्त योग्यता माना जाएगा। ऐसे पदाधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें खेल, चिकित्सा श्रेणी, पाठ्येत्तर गतिविधियों में दक्षता प्राप्त हो तथा उन्हें अपने कार्यकाल में प्रतिष्ठित वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो।

ख. उप प्राचार्य की नियुक्ति हेतु अर्हताः–

(i) भारत का नागरिक हो।

(ii) (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान, वाणिज्य, अभियंत्रण, प्रबंधन में 55 प्रतिशत के साथ स्नातकोत्तर डिग्री। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बी०एड०/बी०ए०एड०/बी०एससी०एड० अथवा भारत सरकार/बिहार सरकार द्वारा घोषित समकक्ष शिक्षक प्रशिक्षण की योग्यता।

(ग) भारत सरकार/बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय में 15 वर्षो का अनुभव, जिसमें 10 वर्ष स्नातक या स्नातकोत्तर शिक्षक एवं 05 वर्ष का शैक्षिक प्रशासक के रूप में अनुभव।

(घ) आयु सीमा– आयु अधिमानतः 45 वर्ष से कम होना चाहिए।

अथवा

(ii) (क) रैंक –थल सेना/नौसेना/वायु सेना की शिक्षा शाखा से मेजर या समकक्ष पद के सैन्य पदाधिकारी।

(ख) योग्यता–

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम–से–कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर ; तथा

(ii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बी०एड०/बी०ए०एड०/बी०एससी०एड०

अथवा

भारत सरकार/बिहार सरकार द्वारा घोषित समकक्ष शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता।

(ग) आयु सीमा – आयु अधिमानतः 45 वर्ष से कम होना चाहिए।

(iii) अन्य – खेलों तथा सह–पाठ्यक्रम गतिविधियों के दक्षता को अतिरिक्त योग्यता माना जाएगा। ऐसे पदाधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें खेल, चिकित्सा श्रेणी, पाठ्येत्तर गतिविधियों में दक्षता प्राप्त हो तथा उन्हें अपने कार्यकाल में प्रतिष्ठित वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो।

ग. प्राचार्य/उप प्राचार्य की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार (बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से)में न्यूनतम अर्हत्तांक प्राप्त करने की स्थिति में सेना में कार्यरत अधिकारियों को वरीयता दी जायेगी तथा इनमें भी समानता की स्थिति में जिनका उम्र अधिक होगा उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी, उम्र समान होने की स्थिति में अंग्रेजी शब्दकोष के अनुसार जिसका नाम पहले आयेगा उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।

3. **सिमुलतला शिक्षा सोसाइटी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी सेवाशर्त्त तथा अनुशासन नियमावली, 2021 के नियम–16 का प्रतिस्थापन** :–उक्त नियमावली के नियम–16 को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जायेगा–

16. शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्तिः–

(i) सदस्य सचिव द्वारा शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को अधियाचना उपलब्ध कराई जायेगी।

(ii) आयोग द्वारा प्रशासी विभाग से परामर्श कर लिखित परीक्षा एवं अंतर्वीक्षा हेतु पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा।

(iii) उपलब्ध करायी गयी अधियाचना के आलोक में आयोग शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति हेतु रिक्तियों की संख्या दर्शाते हुए विज्ञापन प्रकाशित करेगा। आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जायेगा।

(iv) निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षाफल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जायेगा। उक्त परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा।

(v) आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी की नियुक्ति की कार्रवाई सदस्य सचिव, कार्यकारिणी समिति द्वारा की जायेगी। नियुक्ति के पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों की अर्हता संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की जॉच कार्यकारिणी समिति द्वारा करा ली जायेगी।

(vi) प्रमाण पत्रों के जॉचोपरान्त सफल चयनित अभ्यर्थीयों की नियुक्ति सदस्य सचिव द्वारा की जायेगी।

(vii) नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को सदस्य सचिव, सिमुलतला शिक्षा सोसाइटी के साथ विहित प्रपत्र में एकरारनामा करना आवश्यक होगा।

(viii) सिमुलतला आवासीय विद्यालय में अनुबंध/दैनिक वेतन पर कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मी को आवश्यक अधिभार एवं आयु क्षांति दी जा सकेगी। इस संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा अलग से निर्णय लेकर संसूचित किया जा सकेगा।

कार्यकारिणी समिति के आदेश से

सदस्य सचिव, कार्यकारिणी समिति
सिमुलतला शिक्षा सोसाइटी।

ज्ञापाक–10/व1–92/2010(खण्ड)...1088 पटना, दिनांक 13-5-26

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे अगले असाधारण गजट में प्रकाशित करें तथा 1000 (एक हजार) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

सदस्य सचिव, कार्यकारिणी समिति
सिमुलतला शिक्षा सोसाइटी

ज्ञांपाक–10 / व1–92 / 2010(खण्ड)...1088 पटना, दिनांक 13-5-26

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / सदस्य सचिव, कार्यकारिणी समिति–सह–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / सभी निदेशक, शिक्षा विभाग / अध्यक्ष, प्रबंध समिति, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई–सह–जिला पदाधिकारी, जमुई / सचिव, प्रबंध समिति,सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई / क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर / जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई / प्राचार्य, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई / आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग एवं सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सदस्य सचिव, कार्यकारिणी समिति
सिमुलतला शिक्षा सोसाईटी